

बिहार सरकार

विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-01-02/2010/ 93 /जे0, दिनांक-19.08.2013

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13380, दिनांक-14.08.2013 के आलोक में श्री लाल बाबू गुप्ता, नव प्रोन्नत उप सचिव, वित्त विभाग, सम्प्रति अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उप सचिव के पद पर योगदान देने हेतु आज दिनांक-19.08.2013 (अपराह्न) से प्रभार मुक्त किया जाता है तथा उक्त रिक्त पद के विरुद्ध श्री कामेश्वर प्रसाद, नवप्रोन्नत अवर सचिव का योगदान दिनांक-19.08.2013 (अपराह्न) के प्रभाव से स्वीकृत करते हुये महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. श्री गुप्ता अपना प्रभार श्री कृष्ण कुमार दास, अवर सचिव को सौंप कर प्रभार मुक्त होंगे।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-बी0/मु0स्था0-01-02/2010/_____/जे0 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-बी0/मु0स्था0-01-02/2010/ 6177जे0 पटना, दिनांक 19/08/13

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/विधि (लेखा) विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/श्री लाल बाबू गुप्ता, नव प्रोन्नत उप सचिव, वित्त विभाग, सम्प्रति अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री कामेश्वर प्रसाद, नवप्रोन्नत अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना (प्रतिनियुक्त महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार)/वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कृष्ण कुमार दास, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

³⁴⁻⁴¹
^{19/8/13}
(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

^{31/8/13}
19.08.13